

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

**** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।**

द्वारा :-

****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :-

सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 308.60 लाख (रुपये तीन करोड़ आठ लाख साठ हजार) मात्र की लागत व्यय पर नालंदा, नवादा एवं शेखपुरा जिला में तीन नये बल्क मिल्क कूलर भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण के स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 308.60 लाख (रुपये तीन करोड़ आठ लाख साठ हजार) मात्र की लागत व्यय पर नालंदा, नवादा एवं शेखपुरा जिला में तीन नये बल्क मिल्क कूलर भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण के स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

- इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में नालंदा जिला के गिरियक, नवादा जिला के चितरकोली (रजौली) एवं शेखपुरा जिला के चेवड़ा में 10 KLPD क्षमता के बल्क मिल्क कूलर की स्थापना कॉम्पेड, पटना द्वारा की जा रही है। जिसमें उक्त योजना के अन्तर्गत बी०एम०सी० के सुचारु संचालन, उपकरणों की सुरक्षा तथा विद्युत एवं जल आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पृथक भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिसमें तीनों बी०एम०सी० भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित रुपये 308.60 लाख प्राक्कलित है। उक्त तीन बी०एम०सी० भवनों यथा चेवड़ा (शेखपुरा) बी०एम०सी० भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 82.35 लाख, चितरकोली (नवादा) बी०एम०सी० भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 118.20 लाख एवं गिरियक (नालंदा) बी०एम०सी० भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 108.05 लाख अनुमानित व्यय है।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बी०एम०सी० हेतु सुरक्षित एवं मानकयुक्त भवन का निर्माण करना, दुग्ध संग्रहण एवं शीतलीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, बी०एम०सी० की दीर्घकालीक सुरक्षा तथा कार्य कुशलता सुनिश्चित करना और सहकारी संस्थाओं की आधारभूत संरचना को मजबूत करना है।
4. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
5. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. इस योजना अंतर्गत कॉम्फेड, पटना को राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में किया जायेगा।
7. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।
8. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता -- मुख्य शीर्ष-2404 -डैरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0103 -आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ सात निश्चय-2, विपत्र कोड 02-2404007890103, विषय शीर्ष-0103.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
9. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
10. दिनांक-04.05.2026 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस० (6)41/2026 के पृष्ठ 13-12/प०.
11. दिनांक-20.05.2026 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस० (6)41/2026 के पृष्ठ 24-23/प०.

12. यह स्कीम सात निश्चय-2 अन्तर्गत एक नयी स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)41/2026 के पृष्ठ-14/टि० एवं दिनांक-05.06.2026.
13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०-6 एस०एस०(6)41/2026 के पृष्ठ-13/टि० तथा डायरी सं०-343, दिनांक-01.06.2026.
14. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार रमेश)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)41/2026-2822/पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)41/2026-2822/पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)41/2026-2822/पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)41/2026-2822/पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)41 / 2026-2822 / पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)41 / 2026-2822 / पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)41 / 2026-2822 / पटना-15, दिनांक-09/06/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 308.60 लाख (रुपये तीन करोड़ आठ लाख साठ हजार) मात्र की लागत व्यय पर नालंदा, नवादा एवं शेखपुरा जिला में तीन नये बल्क मिल्क कूलर भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण के स्वीकृति के लिए व्यय विवरणी :-

विपत्र कोड	योजना विवरणी	इकाई दर (रुपये लाख में)	वित्तीय वर्ष 2026-27		निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
			भौतिक	वित्तीय		
विपत्र कोड 2404007890103, विषय शीर्ष-0103.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद	चेवड़ा बी०एम०सी० भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	82.35293	01	82.35	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	चितरकोली बी०एम०सी० भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	118.20923	01	118.20		
	गिरियक बी०एम०सी० भवन एवं चाहरदीवारी का निर्माण कार्य	108.05888	01	108.05		
कुल :-				308.60		

(रुपये तीन करोड़ आठ लाख साठ हजार) मात्र।

2822
09/66/26

सरकार के संयुक्त सचिव